



नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४७) काठमाडौं, माघ ६ गते २०५४ साल (पूर्वातिरिक्ताङ्क ५२ (क + २))

भाग ३

श्री ५ को सरकार

सूचना तथा संचार मन्त्रालयको सूचना

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक वा सोही ऐनको दफा १४ बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारिश्रमिक वा क्षतिपूर्तिको रकममा समय-समयमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारमा सिकाइ गर्नको लागि देहायबमोजिमको पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरेको छ।

- | | |
|---|--------------|
| (क) श्री उज्ज्वल शर्मा, प्रकाशक, हिमालय टाइम्स (दैनिक) | - अध्यक्ष |
| (ख) प्रतिनिधि, सूचना तथा संचार मन्त्रालय | - सदस्य |
| (ग) प्रतिनिधि, श्रम मन्त्रालय | - सदस्य |
| (घ) प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ | - सदस्य |
| (ङ) श्री राजेश्वर नेपाली, जनकपुर, धनुषा (श्रमजीवी पत्रकार) | - सदस्य |
| (च) श्री नरेश बराल, विराट नेशनल टाइम्स, मोरङ (श्रमजीवी पत्रकार) | - सदस्य |
| (छ) श्री कविर राणा, दैनिक कमाण्डर (सन्ध्याकालीन), काठमाडौं (श्रमजीवी पत्रकार) | - सदस्य |
| (ज) प्रतिनिधि, प्रेस काउन्सिल | - सदस्य |
| (झ) प्रेस रजिष्ट्रार | - सदस्य-सचिव |

आज्ञाले,

दुण्डिराज खनाल

श्री ५ को सरकारको का.मु. सचिव

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

१२४९



सिंहदरवार

विभाग

सुदृण

आधिकारिकता सिद्धांत

(1) आधिकारिकता सिद्धांत का अर्थ है कि प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(2) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(3) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(4) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(5) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(6) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(7) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(8) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(9) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।

(10) प्रशासनिक कार्य के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता है।